



UCMS: 2020/00176

श्रीमान्जी

प्रार्थी चुनीराम पुत्र रामनारायण यादव निवासी गली नं० 3 चक 3ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 08.11.2017 को एक बन्द वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाया गया था, जिसे प्रार्थी बिना खोलें वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थी को गवाह श्री मदन यादव पुत्र हरचंद एवं बृजलाल पुत्र दयाराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री वरुण दीक्षित अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है। इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थी को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

प्र.अ.पंजीयन

५

15/11/2020